

बीमार और मुसाफिर के रोजे का हुक्म

حكم صيام المريض والمسافر ﴿ ﴾

[हिन्दी – Hindi – هندی]

مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَحِيمٌ لَهُ اللَّهُ أَعُوْذُ بِهِ

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

حكم صيام المريض والمسافر

«باللغة الهندية»

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिर्खिमल्लाहिर्दहमानिर्दहीन

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، وَبَعْدَ:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा चाचना करते हैं, तथा हम अपने नफ़्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

तीसरा अध्याय

बीमार और मुसाफिर के रोज़े के हुक्म का उल्लेख

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيْكَامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ أَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأَعْسَرَ﴾ (البقرة: ١٨٥)

“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल-बक़रा: 185)

बीमार के दो प्रकार हैं :

प्रथम : वह बीमार जिसकी बीमारी स्थायी हो, उसके समाप्त होने की आशा न हो, उदाहरण स्वरूप कैंसर की बीमारी, ऐसी स्थिति में उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है जिस में उसके रोज़ा पर सक्षम होने की आशा की जा सके। किन्तु वह हर दिन के रोज़ा के बदले एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलायेगा। इस का तरीका यह है कि वह या तो रमज़ान (रोज़ा) के दिनों की संख्या के अनुसार गरीबों और मिसकीनों को एकत्र करे और उन्हें रात या दुपहर का खाना खिलाये, जैसाकि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बूढ़ा होने पर किया करते थे। और दूसरा तरीका यह है कि वह रोज़ा के दिनों की संख्या में गरीबों और मिसकीनों पर, प्रति व्यक्ति एक चौथाई सा'अ नबवी के हिसाब से खाना (अनाज) वितरित कर दे, एक चौथाई सा'अ नबवी का वज़न अच्छे क्वालिटी के गेहूँ से आधा किलो दस ग्राम (510 ग्राम) होता है, श्रेष्ठ यह है कि खाना (गल्ला, राशन) के साथ सालन जैसे गोश्त या तेल आदि भी सम्मिलित कर दे।

यही हुक्म उस बूढ़े और वयोवृद्ध आदमी का भी है जो रोज़ा रखने से असमर्थ और बेबस है, अतः वह भी हर दिन के बदले एक गरीब आदमी को खाना खिलाये गा।

द्वितीय : जिस आदमी की बीमारी आपातकालीन (अस्थायी और सामयिक) हो उसका समाप्त होना असंभव न हो, जैसेकि बुखार और इसके समान अन्य रोग, इसकी तीन हालतें हैं :

पहली हालत : उसके लिए रोज़ा रखने में कोई कष्ट और कठिनाई न हो और न ही उसे रोज़ा रखने से कोई नुकसान पहुँचता हो। ऐसी स्थिति में उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य है, इस लिए कि उसके पास कोई उज्ज्व (शरर्झ कारण) नहीं है।

दूसरी हालत : उसके लिए रोज़ा रखने में कष्ट और कठिनाई हो, किन्तु इस से उसे कोई नुक़सान न पहुँचता हो। ऐसी हालत में उसके लिए रोज़ा रखना मकरूह (अनेच्छिक) है, इसलिए कि इस में उसके ऊपर कष्ट और कठिनाई के साथ—साथ अल्लाह तआला की रुख्सत (छूट) को अपनाने से उपेक्षा पाया जाता है।

तीसरी हालत : उसके लिए रोज़ा रखना हानिकारक हो। इस हालत में उसके लिए रोज़ा रखना हराम (निषिद्ध) है, इसलिए कि इस तरह वह अपने आप को हानि और नुक़सान से पीड़ित कर रहा है, जबकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَنْكَةِ﴾ (البقرة: ١٩٥)

“और अपने हाथों कष्ट में न पड़ो।” (सूरतुल बक़रा :195)

तथा हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है :

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا»

(أخرجه ابن ماجه، والحاكم، قال النووي: وله طرق يقوى بعضها بعضاً)

“न तो हानि जाइज़ है और न ही हानि पहुँचाना।”

इस हदीस को इन्हे माजा और हाकिम ने रिवायत किया है, और नववी ने कहा है कि इस हदीस के कई तरीके (सनदें) हैं जो एक दूसरे को मज़बूत करते हैं।

बीमार पर रोज़ा के हानिकारक होने का पता या तो बीमार के स्वयं अपने ऊपर हानि के अनुभव (एहसास) या किसी विश्वसनीय चिकित्सक की सूचना के द्वारा लगाया जा सकता है। जब भी इस प्रकार का रोगी रोज़ा तोड़ देता है, तो स्वस्थ्य होने के बाद उन दिनों की संख्या में रोज़ा रखेगा

जिनका रोज़ा तोड़ दिया था, और अगर वह स्वस्थ्य होने से पहले मर गया तो उस से क़ज़ा माफ हो जायेगा, क्योंकि उस पर अनिवार्य यह है कि वह दूसरे दिनों में उसी संख्या में रोज़े रखे और उस ने उन दूसरे दिनों को पाया ही नहीं।

मुसाफिर के दो प्रकार हैं :

प्रथम : वह मुसाफिर जिसका उद्देश्य अपने सफर के द्वारा रोज़ा तोड़ने के लिए उपाय (हीला व बहाना) ढूँढ़ना है, ऐसे व्यक्ति के लिए रोज़ा तोड़ना जाइज़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के फराइज़ के लिए हीला व बहाना बनाने से वह फरीज़ा (कर्तव्य) समाप्त नहीं हो जाता है।

द्वितीय : वह मुसाफिर जिसका मक़सद यह नहीं है, उसकी तीन हालतें हैं:
पहली हालत : उसके लिए रोज़ा रखना कठोर कष्ट और कठिनाई का कारण हो, ऐसी स्थिति में उसके लिए रोज़ा रखना हराम है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम “मक्का के विजय की युद्ध में रोज़ा से थे तो आप को सूचना मिली कि लोगों पर रोज़ा कठिन पड़ रहा है और वह प्रतीक्ष कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, चुनाँचि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अस्त्र के बाद पानी का एक प्याला मंगाया और उसे पी लिया, इस हाल में कि लोग आप को देख रहे थे। (यह देख कर लोगों ने भी रोज़ा तोड़ दिया।) फिर आप से कहा गया कि : कुछ लोग (अभी भी) रोज़े से हैं, तो आप ने फरमाया : “वो लोग ना—फरमान हैं, वो लोग ना—फरमान हैं।” (सहीह मुस्लिम)

दूसरी हालत : उस पर रोज़ा रखना कठिन हो, किन्तु कठोर कष्ट का कारण न हो, ऐसी स्थिति में उसके लिए रोज़ा रखना मकरूह है, इसलिए कि वह अपने नफस को कष्ट से पीड़ित करने के साथ—साथ अल्लाह की रुख्सत से उपेक्षा कर रहा है।

तीसरी हालत : उसके लिए रोज़ा रखने में कोई कष्ट और कठिनाई न हो, ऐसी स्थिति में रोज़ा रखने और तोड़ने में से जो चीज़ उसके लिये अधिक आसान हो उस को अपनाये (अर्थात् यदि रोज़ा रखना अधिक आसान हो तो रोज़ा रखें, और अगर रोज़ा तोड़ने में अधिक आसानी हो तो रोज़ा तोड़ दें।) इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥)

“अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल-बक़रा: 185)

यहाँ पर इरादा (चाहना) महब्बत (पसंद करने) के अर्थ में है। और यदि दोनों पक्ष (अर्थात् सफर में रोज़ा रखना और न रखना) बराबर हैं, तो रोज़ा रखना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अमल (कृत्य) यही है, जैसाकि सहीह मुस्लिम में अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने कहा :

“हम रमज़ान के महीना में सख्त गरमी के मौसम में (सफर पर) निकले, यहाँ तक कि हम में से एक आदमी गरमी की व्यापकता के कारण अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया करता था, और हमारे बीच रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा कोई भी रोज़ा से नहीं था।”

मुसाफिर जिस समय अपने नगर से यात्रा पर निकलता है उसी समय से ले कर फिर वहीं वापस लौटने तक सफर में होता है, यद्यपि वह जिस नगर की ओर सफर किया है, वहाँ एक अवधि तक ठहरता है। क्योंकि जब तक उसकी नीयत यह है कि जिस उद्देश्य के लिए उसने सफर किया है उसके पूरा होने के बाद वह वहाँ नहीं ठहरे गा, तो वह सफर ही पर है। चुनाँचि वह सफर की रुख्सतों को अपनाये गा, अगरचि उसके ठहरने

की अवधि लंबी हो जाये, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस अवधि की सीमा निश्चित करना प्रमाणित नहीं है जिस पर सफर समाप्त हो जाता है, और असल तो सफर का बाकी रहना और उसके अहकाम का साबित होना है यहाँ तक कि इस बात की दलील आ जाये कि सफर समाप्त हो गया और उसके अहकाम बाकी नहीं रह गये।

वह सफर जिसकी रुख्सत है उस में स्थायी सफर जैसे हज्ज व उम्रा, किसी रिश्तेदार की ज़ियारत और व्यापार आदि का सफर, तथा स्थायी सफर जैसे किराया की गाड़ियाँ (टैक्सी) चलाने वालों या इसके अलावा बड़ी गाड़ियाँ चलाने वालों के सफर के बीच कोई अंतर नहीं है। वे जब भी शहर से बाहर निकलें तो वे मुसाफिर हैं, उनके लिए वह सभी चीजें जाइज़ हैं जो अन्य मुसाफिरों के लिए जाइज़ हैं, जैसे रमज़ान के महीना में रोज़ा न रखना, चार रक्खत वाली नमाज़ों को क़स्र करके दो रक्खत पढ़ना, आवश्यकता पड़ने पर जुहर और अस्त्र की नमाज़ों को एक साथ तथा मग़रिब और इशा की नमाज़ों को एक साथ एकत्र कर के पढ़ना। उनके लिए रोज़ा न रखना ही सर्वश्रेष्ठ है यदि उनके लिए यही अधिक आसान है और फिर वह सर्दी के मौसम में इसकी क़ज़ा करेंगे, इस लिए कि इन गाड़ियाँ चलाने वालों का एक शहर होता है जिस से वह संबंध रखते हैं। अतः जब भी वे अपने शहर में मुक़ीम होंगे, तो वे मुक़ीम समझे जायें गे और उनके लिए वह चीजें जाइज़ होंगी जो अन्य मुक़ीम लोगों के लिए हैं, और उन पर वह चीजें जारी होंगी जो अन्य मुक़ीम लोगों पर जारी होती हैं, और जब भी वे सफर करेंगे, तो वे मुसाफिर समझे जायेंगे, उनके लिए वह सभी चीजें होंगी जो मुसाफिरों के लिए हैं, और उन पर वह चीजें जारी होंगी जो मुसाफिरों पर जारी होती हैं।